संख्या-804जे0एल0/22-3-2024-ई-1761497

प्रेषक,

अनीस अख्तर अंसारी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 10-01-2025

विषय:- जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध विचाराधीन बंदी शनि सिंह उर्फ पुराने पुत्र स्व0 जगत सिंह को मानसिक बीमारी के आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-36846/सामा-1(5)/15/बंदी स्था0/2024, दिनांक 04-12-2024 एवं पत्र संख्या-39754/सामा-1(5)/15/बंदी स्था0/2024, दिनांक 27-12-2024 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-125 सपठित प्रस्तर-469 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कारागार, चित्रकूट में निरूद्ध विचाराधीन बंदी शनि सिंह उर्फ पुराने पुत्र स्व0 जगत सिंह (बंदी संख्या-1307/2023), निवासी कुरारा, थाना-कुरारा, जनपद-हमीरपुर को मानसिक बीमारी के आधार पर केन्द्रीय कारागार, आगरा स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा/चित्रकूट।

5- पुलिस आयुक्त, आगरा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट।

6-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा एवं अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना (अनुभाग की ई-मेल पर) शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।